

150

150

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल

जिला-रीवा (म.प्र.)



अधिवक्ता श्री चरितच पाण्डेय  
आता प्रस्तुत  
रीवा, कि. 18-7-13  
1.  
*[Signature]*

R. 2964- 11/13

1. रामराय तनय श्री हुब्बलाल, उम्र 65 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम कोनी बाजार, थाना अतरैला, तहसील जवा, जिला-रीवा (म.प्र.)

2. रामशिरोमणि तनय ननका (रामदास), उम्र 75 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम गड़हरा, थाना अतरैला, तहसील जवा, जिला-रीवा (म.प्र.)

22-7-13  
3.

3. दौलत प्रसाद तनय श्री रामनिहोर, उम्र 46 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम पुरैनिहा, थाना अतरैला, तहसील जवा, जिला-रीवा (म.प्र.)

..... निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

**बनाम**

1. कृष्ण कुमार तनय श्री कैलाशपति तिवारी, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम गड़हरा टोला मनकैइया, थाना अतरैला, तहसील जवा, जिला-रीवा (म.प्र.)

2. शासन मध्यप्रदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक अतरैला, जिला-रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

राजस्व निरीक्षक वृत्त जवा के आदेश दिनांक 16.06.13 के प्रकरण क्रमांक 29-ए/2012-13 जिकसे द्वारा आराजी खसरा क्र. 324, स्थित

ग्राम कोनी एवं 335/1 स्थित ग्राम गड़हरा का सीमांकन किया गया है, जिसमें

निगरानीकर्तागण को कोई सूचना नहीं दी गई।


*[Signature]*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.2964-III/13

जिला-रीवा

रामराय वगैरः/ कृष्ण कुमार तिवारी

(1)	(2)	(3)
16.05.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	